

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


अधिसूचना

जी० एस० आर० पटना, दिनांक.....

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की धारा-3 के अधीन खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा निर्गत बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन) आदेश, 1977 (पुनःअधिसूचित, 1986) की कंडिका 2(a) में आदेश की अनुसूची-I और II में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ने की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुसूची- I में निम्नलिखित वस्तुओं को जोड़ा जाता है :—

1. आदेश की अनुसूची-1 के क्रमांक '1' में शब्द "खाद्यान्न, गेहूँ एवं गेहूँ उत्पाद सहित" जोड़ा जाएगा।
2. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '8' में शब्द "मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर" जोड़ा जाएगा।
3. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '15' में शब्द "आलू" जोड़ा जाएगा।
4. आदेश की अनुसूची-1 के लगतार क्रमांक '16' में शब्द "प्याज" जोड़ा जाएगा।
5. आदेश की अनुसूची-1 में वर्णित चावल, चना, आटा (गेहूँ चावल अथवा चना का), मकई, दलहन, दालें, नमक, चीनी, गुड़, सभी प्रकार के खाद्य तेल, सभी प्रकार के वनस्पति, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सोडा ऐश (वाशिंग परपस), किरोसीन तेल, एल०पी०जी०, सभी मसालें इत्यादि दिनांक 20 मार्च, 2020 से जोड़े हुए समझा जायेगा।
6. यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

प्र० 4— वि०आ०व०(मू०भ०)—०१ / २०२०
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र० 4— वि०आ०व०(मू०भ०)—०१ / २०२० । ४/११ खाद्य, पटना / दिनांक २७.३.२०२०
प्रतिलिपि:- ई—गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को अंग्रेजी अनुवाद सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 200 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र० 4— वि०आ०व०(मू०भं०)–०१ / २०२० खाद्य, पटना / दिनांक

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति), पटना/सभी उपनिदेशक, खाद्य/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्या लोक, पटना/महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना-४/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shubh 27.3.2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र० 4— वि०आ०व०(मू०भं०)–०१ / २०२० १४९९ खाद्य, पटना / दिनांक २७.३.२०२०

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shubh 27.3.2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- प्र० 4— वि०आ०व०(मू०भं०)–०१ / २०२० १४९९ खाद्य, पटना / दिनांक २७.३.२०२०

प्रतिलिपि:- सूचना पट्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shubh 27.3.2020

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department


NOTIFICATION

GSR.....PATNA, DATED

In exercise of the powers conferred by clause 2(a) of the Bihar Essential Articles (Display of Prices and Stocks) order, 1977 (Re-notified, 1986) to add essential articles in Schedule I and II of the order issued by Food, Supply and Commerce Department, under Section 3 of the Essential Commodities Act (10 of Central Act 1955) the following articles in schedule I of the order is added hereby :-

1. In Schedule "1" of the said order the word "Foodgrains including wheat and wheat products" shall be added in item 1.
2. In the Schedule "1" of the said order the word Masks (2 ply & 3 ply surgical masks, N 95 masks) & Hand Sanitizers shall be added in continuation of item no. 8.
3. In Schedule "1" of the said order the word "Potato" shall be added in continuation of item no. 15.
4. In Schedule "1" of the said order the word "Onion" shall be added in continuation of item no. 16.
5. Rice, Gram, Atta of (Wheat, rice or gram), Maize, Pulse grains, Pulses, Salt, Sugar, Gur, Edible Oil of all kinds, Vanaspati of all makes, Baby Food, Matches, Maida, Suji, Rawa, Soda ash (for washing Purpose), Kerosene Oil, L.P.G and all spices etc mentioned in scheduie-I of the order, shall be deemed to be added with effect from dated 20th March 2020.
6. This notification shall be deemed to enforced with effect from 20th March 2020.


Pr 04-Be.AA.W.(Mu.Bh.)- 01/2020
By order of the Governor of Bihar,



(Chandrashekhar)

Add. Secretary to the Govt.
Food & Consumer Protection
Dept. Bihar, Patna

Memo No.: Pr 04-Be.AA.W.(Mu.Bh.)- 01/2020 | 499 Food, Patna/Date - 27.3.2020
Copy of forwarded to Finance Department, Government of Bihar, Patna for information and necessary action.



Add. Secretary to the Govt.